**भारत सरकार**

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय**

**राज्‍य सभा**

**तारांकित प्रश्‍न सं0 44**

**दिनांक 06 फरवरी, 2019**

**गैस से विद्युत उत्पादन करने में**

**भारत की क्षमता**

**\*44. श्री संजय सिंहः**

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

1. क्या घरेलू गैस उपलब्ध न होने एवं गैस आयातों की अत्यधिक लागत के कारण गैस- आधारित उच्च क्षमता वाले 31 विद्युत संयंत्र बंद पड़े हैं;
2. क्या वर्ष 2017-18 के दौरान 87.12 एम एम एस सी एम डी के कुल आवंटन की तुलना में विद्युत संयंत्रों को औसतन केवल 25.71 मिलियन मीट्रिक स्टैण्डर्ड क्यूबिक मीटर प्रतिदिन घरेलू गैस की आपूर्ति की गई; और
3. यदि हां, तो ऐसी समस्याओं का सामना करने के लिए प्राकृतिक गैस सेक्टर का सहयोग करने हेतु सरकार द्वारा क्या-क्या उपाय किए गए हैं?

**उत्तर**

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री**

**(श्री धर्मेन्द्र प्रधान)**

**(क) से (ग) :** एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

**“गैस से विद्युत उत्पादन करने में भारत की क्षमता” के संबंध में संसद सदस्‍य श्री संजय सिंह द्वारा पूछे गए दिनांक 06 फरवरी, 2019 के राज्‍य सभा तारांकित प्रश्‍न सं. 44 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्‍लिखित विवरण।**

(क) से (ग): विद्युत क्षेत्र सहित सभी क्षेत्रों को घरेलू गैस का आबंटन सरकार की गैस उपयोग नीति के अनुसार किया जा रहा है। आबंटन की तुलना में घरेलू गैस की आपूर्ति उपलब्‍धता की शर्त पर की जाती है। क्रेताओं और विक्रेताओं के बीच पारस्‍परिक रूप से स्‍वीकृत निबंधन एवं शर्तों के आधार पर विद्युत संयंत्रों द्वारा खुले सामान्‍य लाइसेंस के तहत तरलीकृत प्राकृतिक गैस का आयात किया जाता है। विद्युत मंत्रालय ने बताया है कि घरेलू गैस उपलब्‍ध नहीं होने के कारण 31 गैस आधारित विद्युत संयंत्रों की 14,305 मेगावाट उत्‍पादन क्षमता बेकार पड़ी हुई थी।

देश में घरेलू गैस का उत्‍पादन घटा है; तथापि, विद्युत क्षेत्र के लिए घरेलू गैस की आपूर्ति में पिछले 2 वर्षों में वृद्धि हुई है। वर्तमान में, विद्युत क्षेत्र देश में घरेलू गैस का सबसे बड़ा उपभोक्‍ता है और वर्ष 2017-18 के दौरान घरेलू गैस औसत खपत 25.71 एमएमएससीएमडी थी। घरेलू गैस के उत्‍पादन को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा की गई प्रमुख नीतिगत स्‍तर की पहलों में निम्‍नलिखित शामिल हैं;

i.  अंतर्राष्‍ट्रीय मूल्‍यों के अनुरूप घरेलू प्राकृतिक गैस के मूल्‍य को बाजार से जोड़ने के लिए नए घरेलू प्राकृतिक गैस मूल्‍य निर्धारण दिशा निर्देश, 2014 लागू करना।

ii.  हाइड्रोकार्बन अन्‍वेषण और लाइसेंसिंग नीति (एचईएलपी)/खुला रकबा लाइसेंसिंग नीति (ओएएलपी) को लागू करना।

iii.  तेल और गैस के लिए उन्‍नत निकासी पद्धतियों (ईओआर) को बढ़ावा देने और प्रोत्‍साहित करने के लिए नीतिगत फ्रेमवर्क।

iv.  मौजूदा क्षेत्रों की उत्‍पादकता में सुधार करने और घरेलू हाइड्रोकार्बन्‍स के समग्र उत्‍पादन को बढ़ाने के लिए राजकोषीय प्रोत्‍साहन और एक उपयुक्‍त इको सिस्‍ट्म।

v.  गैर-मौद्रीकृत खोजों का शीघ्र मौद्रीकरण करने के लिए खोजे गए लघु क्षेत्र नीति (डीएसएफ) को लागू करना।

vi.  उच्‍च गुणवत्ता के और विश्‍वसनीय भू-वैज्ञानिक आंकड़े उपलब्‍ध कराने के उद्देश्‍य से अत्‍याधुनिक नेशनल डाटा रिपोजिटरी (एनडीआर) का निर्माण।

vii.  गैर-मूल्‍यांकित क्षेत्रों के लिए राष्‍ट्रीय भूकंपीय कार्यक्रम।

viii. लैंडेड वैकल्पिक ईंधन के आधार पर अधिकतम मूल्‍य की शर्त पर उच्‍च दाब- उच्‍च तापमान (एचपीएचटी), गहरे समु्द्री और अत्‍यधिक गहरे समुद्री क्षेत्रों में की गई खोजों से उत्‍पादित गैस के लिए मूल्‍य निर्धारण की आजादी सहित विपणन की आजादी।

ix.    कोल बेड मिथेन का शीघ्र मौद्रीकरण करने के लिए नीति।

\*\*\*